संख्याः-01 /2025 / 60 /छिहत्तर-1-2025-1780872

प्रेषक

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 10 जनवरी, 2025

विषयः- जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में अंत: ग्राम अवसंरचनाओं के निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान हेतु भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3809/डब्लू-409 (NGSEC-1)/2023-24/Fin-3 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में अंत: ग्राम अवसंरचनाओं के निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की भुगतान प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में अंत: ग्राम अवसंरचनाओं के निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

(1) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान के भुगतान हेतु पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर स्टेट स्कीम (JJM Community Contribution (State)) Create/map की जायेगी।

(2) जल जीवन मिशन को अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान के भुगतान सम्बन्धी प्रविष्टियों का पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन अंकन जनपद स्तर पर सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जायेगा।

(3) जल जीवन मिशन के कार्यो के मापकंन एवं भुगतान हेतु upjnr-kautilya.in के EMB Billing system पर वर्तमान में प्रचलित समस्त कार्यवाही जनपद में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) स्तर तक यथावत जारी रहेगी। सामुदायिक अंशदान से संबंधित प्रविष्टियों का विभागीय पोर्टल (upjnr- kautilya.in) पर ऑनलाइन अंकन सम्बन्धित जनपद के सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जायेगा।

(4) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान से सम्बन्धित बिल वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप upjnr-kautilya.in के EMB Billing system पर अपलोड किया जायेगा, जो बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनका भुगतान नहीं किया जायेगा।

(5) सामुदायिक अंशदान से सम्बन्धित बिलों के परीक्षणोपरान्त सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर Final Calculation sheet प्राप्त कर PFMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। अधिशासी

अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) / सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा बिल/वाउचर संरक्षित किये जायेगे, जिससे सम्बन्धित भुगतानों का ऑडिट किया जा सके।

(6) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के PFMS पोर्टल के Admin अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन होंगे एवं उनके द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को सामुदायिक अंशदान के भुगतान की धनराशि के बिल अपलोड किये जाने हेतु समतुल्य लिमिट (Limit) आवंटित की जायेगी।

(7) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) डाटा ऑपरेटर (DO) होगे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उन्हें डाटा ऑपरेटर (DO) User ID एवं Password पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।

(8) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु वित्त निदेशक / वित्त नियंत्रक /वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन डाटा अप्रूवर (DA) होंगे। उनकी Digital Signature (DSC) को DA की ID में पंजीकृत किया जायेगा।

(9) जनपद स्तरीय डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टियां (Booking) जनपद स्तर पर PFMS के माध्यम से की जायेगी।

(10)जनपद स्तरीय डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा किये गये भुगतान की प्रविष्टियों को डाटा अप्रूबर (DA) द्वारा DSC के माध्यम से Approve किया जायेगा।

(11)जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से किये गये समस्त भुगतान की प्रविष्टियों एवं की जाने वाली कटौतियों की सत्यता एवं शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।

(12)जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर Statutory deduction (TDS-GST etc) का भुगतान प्रत्येक माह राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

(13)जल जीवन मिशन के अंतर्गत फेज-1, 2, 3, 4 एवं 5 की पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित सामुदायिक अंशदान के बिलों के भुगतान की Booking आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से की जायेगी।

(14)राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation) सम्वन्धी कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

(15)उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में अतः ग्राम अवसंरचनाओं के निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को उनके द्वारा की गयी मांग के अनुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की जायेगी। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से संबंधित योजनाओं के सामुदायिक अंशदान के बिलों के भुगतान की Booking आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर बर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा की जायेगी।

(16)भुगतान की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिलों के भुगतान की स्थापित व्यवस्था से किसी वित्तीय नियम तथा जल जीवन मिशन की गाइड लाइन का उल्लंघन न हो।

3- अत: अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 10-01-2025 16:53:56

(अंबरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 01 /2025/ 60 /छिहत्तर-1-2025-1780872

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
(ओम प्रकाश चौहान)
Date: 10-01-2025 17:42:53
अनु सचिव